


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-32/2014 **4618** /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के अनुशंसा के आलोक में श्री पुरुषोत्तम पासवान, वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर (औरंगाबाद) का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(शिव प्रसाद राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-32/2014 **4618** /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- **13-7-17**
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर/श्री पुरुषोत्तम पासवान, वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अभितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12.7.17
सरकार के अवर सचिव।